



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223872
CG-DL-E-22122020-223872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4091]
No. 4091]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/Pausha 1, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सं. 49/2015-2020

विषय: कोयला की आयात नीति में संशोधन और आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-I
(आयात नीति) के अध्याय 27 में नीतिगत शर्त संख्या 07 शामिल करना।

का. आ. 4654(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत निम्नलिखित मदों की आयात नीति को संशोधित करती है:—

एचएस कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
27011100	ऐन्थ्रेसाइट कोयला	मुक्त	कोयला आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त	-	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 7

27011200	बिटूमिनस कोयला	मुक्त	कोयला आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त	-	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 7
27011910	कोकिंग कोयला	मुक्त	कोयला आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त	-	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 7
27011920	स्टीम कोयला	मुक्त	कोयला आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त	-	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 7
27011990	अन्य कोयला	मुक्त	कोयला आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त	-	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 7

2. एक नई नीतिगत शर्त संख्या 7 आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 में शामिल की जा रही है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(i) कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) में आयातकों द्वारा मदों के आयात हेतु ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना और सीआईएफ मूल्य पर न्यूनतम 500/- और अधिकतम 1 लाख रुपये के अधीन प्रति हजार 1 रुपये के पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(ii) आयातक आयात खेप के पहुंचने की प्रत्याशित तिथि से पंजीकरण के लिए अधिकतम 60 दिन पहले और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक आवेदन कर सकता है। स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। आयातक को खेप की निकासी हेतु सीमाशुल्क को समर्थ बनाने हेतु प्रविष्टि बिल में पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण की समाप्ति की तिथि को दर्ज करना होगा।

3. सीआईएमएस दिनांक 01.02.2021 से प्रभावी होगी अर्थात् इस अधिसूचना में यथा सूचीबद्ध मदों के लिए 01.02.2021 को या इसके बाद प्रविष्टि बिल सीआईएमएस द्वारा अभिशसित होगी। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31.12.2020 से उपलब्ध होगी।

4. **अधिसूचना का प्रभाव:** उपर्युक्त सूचीबद्ध मदों की आयात नीति कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) के अधीन होगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-4708/1902/2002/पीसी-2(क)/ई-1884]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi the 22nd December, 2020

No.49/2015-2020

Subject: Amendment in import policy of Coal and incorporation of Policy Condition No. 7 in Chapter 27 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 4654(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 & 9 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy of following items under chapter 27 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy):

HS Code	Item Description	Present Policy	Revised Policy	Present Policy Condition	Revised Policy Condition
27011100	Anthracite Coal	Free	Free subject to compulsory registration under Coal Import Monitoring System	-	Policy Condition 7 of Chapter-27
27011200	Bituminous Coal	Free	Free subject to compulsory registration under Coal Import Monitoring System	-	Policy Condition 7 of Chapter-27
27011910	Coking Coal	Free	Free subject to compulsory registration under Coal Import Monitoring System	-	Policy Condition 7 of Chapter-27
27011920	Steam Coal	Free	Free subject to compulsory registration under Coal Import Monitoring System	-	Policy Condition 7 of Chapter-27
27011990	Other Coal	Free	Free subject to compulsory registration under Coal Import Monitoring System	-	Policy Condition 7 of Chapter-27

2. A new Policy Condition No. 7 is being added in Chapter-27 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy) which reads as under:

(i) *The Coal Import Monitoring System (CIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items and obtain an automatic Registration Number by paying registration fee of Rs. 1 per thousand, subject to minimum of Rs. 500/- and maximum of Rs. 1 lakh, on CIF value.*

(ii) *The importer can apply for registration not earlier than 60th day and not later than 15th day before the expected date of arrival of import consignment. The Automatic Registration Number shall remain valid for a period of 75 days. Importer shall have to enter the Registration Number and expiry date of Registration in the Bill of Entry to enable Customs for clearance of consignment.*

3. The CIMS will be effective from 01.02.2021, i.e., Bill of Entry on or after 01.02.2021 for items as listed in this Notification shall be governed by CIMS. The facility of online Registration will be available with effect from 31.12.2020.

4. **Effect of the Notification:** Import policy of item listed above shall be subject to Coal Import Monitoring System (CIMS).

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-4708/1902/2002/PC-2(A)/E-1884]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade, & Ex-Officio Addl. Secy.